कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवम् अधीक्षक मुद्रांक मध्यप्रदेश, भोपाल

(पंजीयन भवन, द्वितीय तल, पुरानी विधानसभा के सामने, भोपाल– 462 003)

क्रमांक 49 /सम्पदा–19/2015 भोपाल, दिनांक 12/01/2015

प्रति

समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक/जिला पंजीयक,
उज्जैन, सीहोर, टीकमगढ़, अनूपपुर तथा बालाघाट।

विषय– सम्पदा एप्लीकेशन द्वारा ई–पंजीकृत दस्तावेजों के प्रिंट के संबंध में।

उपर्युक्त विषयांतर्गत अब तक **सम्पदा एप्लीकेशन** द्वारा ई–पंजीकृत दस्तावेजों के जो प्रिंट लिए जा रहे थे, उनमें दस्तावेज के साथ–साथ उससे संलग्न शपथ–पत्र, पेन कार्ड की छायाप्रति, खसरा नकल, सम्पत्ति के फोटो इत्यादि भी प्रिंट किए जाते थे ।

उक्त परिप्रेक्ष्य में निर्देशित किया जाता है कि अब केवल ई–पंजीकृत दस्तावेज का ही प्रिंट लिया जाएगा, दस्तावेज का कोई भी संलग्नक प्रिंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि संलग्नक पंजीकृत दस्तावेज का भाग नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में समस्त संलग्नकों के दस्तावेज के सुसंगत होने का परीक्षण/मिलान करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह जिम्मेदारी संबंधित पंजीयन लिपिक/मेकर की होगी। इसका क्रॉस चेक उप पंजीयक/चेकर द्वारा किया जाएगा, जो अंतिम रूप से दस्तावेज के पंजीयन के लिए उत्तरदायी होता है।

Dipali Rastogi

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश।

पृष्ठांकन क्रमांक 50 /सम्पदा–19/2015 भोपाल, दिनांक 12/01/2015

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल को सूचनार्थ।
2. कलेक्टर – जिला उज्जैन, सीहोर, टीकमगढ़, अनूपपुर तथा बालाघाट को सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक पंजीयन की ओर आवश्यक कार्रवाई हेतु।

DR

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश।